भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3371

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस में संस्थागत क्षमता और कार्यबल की स्थिति

3371. **श्री गौरव गोगोईः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) प्रणाली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू),आंगनबाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच), पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ), जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डीपीओ), सांख्यिकीय सहायकों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, समाज कल्याण अधिकारियों और आईसीडीएस के कार्यान्वयन और प्रशासन में शामिल अन्य सहायक कर्मचारियों सहित संस्वीकृत पदों और कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों और आईसीडीएस प्रशासन के कार्यकरण में संस्थागत और मानव संसाधन क्षमता में अंतरालों का हाल ही में कोई मूल्यांकन/लेखापरीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए लागू मानदेय/वेतन संरचना का ब्यौरा क्या है और क्या उक्त दरों में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और नियोजन के लिए ज़िम्मेदार है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, योजना के कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों की भर्ती सहित दिन –प्रतिदिन कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार हैं। विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने से संबंधित

मामला राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ सतत बातचीत/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से उठाया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत, भरे गए और रिक्त पदों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री(एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्ता" हैं जो स्थानीय समुदाय की मदद करने के उद्देश्य से बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं,जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को मानदेय दिया जाता है जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 से भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है; आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप अप भी दे रहे हैं, जो राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं । राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप -अप का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये प्रति माह कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

वर्तमान में, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक-I

“आईसीडीएस में संस्थागत क्षमता और कार्यबल की स्थिति” के संबंध में दिनांक 08.08.2025 को को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, मिशन सक्षम, आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत जुलाई, 2025 तक विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	सीडीपीओ			पर्यवेक्षक			एडब्ल्यूडब्ल्यू			एडब्ल्यूएच		
		स्वीकृत	भरे गए	रिक्त पद (राज्य के अनुसार)	स्वीकृत (राज्य के अनुसार)	भरे गए	रिक्त पद (राज्य के अनुसार)	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त पद (राज्य के अनुसार)	स्वीकृत	भरे गए	रिक्त पद (राज्य के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	257	205	52	1951	1537	698	55969	54944	1025	55969	47356	8613
2	बिहार	544	389	155	4210	2803	1407	115097	110161	4936	115097	99990	15107
3	छत्तीसगढ़	220	191	29	1866	1706	160	52642	52002	640	52642	50359	2283
4	गुजरात	336	158	178	2122	1705	417	53065	50277	2788	53065	48897	4168
5	हरियाणा	148	59	89	1016	890	126	25962	23194	2768	25450	20716	4734
6	हिमाचल प्रदेश	78	47	31	757	597	160	18925	18580	345	18925	17759	1166
7	जम्मू एवं कश्मीर	128	97	31	1137	951	186	28426	28082	344	28426	27972	454
8	झारखंड	224	56	168	1344	667	677	38,957	37812	1145	38957	36510	2447
9	कर्नाटक	204	162	42	2503	1776	727	66098	66098	0	66098	59298	6800
10	केरल	258	256	2	1327	1238	89	33120	33051	69	33120	33066	54
11	मध्य प्रदेश	453	295	158	3379	2749	1136	97882	95058	2824	97882	79598	18284
12	महाराष्ट्र	553	233	320	3899	2496	1403	110664	108560	2104	110664	104527	6137
13	ओडिशा	338	325	13	2922	1984	566	74223	73475	748	74223	71964	2259
14	पंजाब	155	86	69	1046	630	416	27314	25343	1971	27314	23239	4075
15	राजस्थान	304	235	69	2232	1460	772	62196	60625	1571	62196	59308	2888
16	तमिलनाडु	434	255	179	1980	1168	614	54,481	43940	10541	49541	34663	14878
17	तेलंगाना	149	149	0	1440	1250	190	35781	32782	2999	35781	23506	12275

18	उत्तर प्रदेश	897	614	283	6643	1783	4860	190146	182348	7798	190116	128811	61305
19	उत्तराखंड	105	95	10	597	454	143	20070	19778	292	20070	17658	2412
20	पश्चिम बंगाल	576	242	334	4779	2472	2307	119481	105210	14271	119481	95750	23731
21	अरुणाचल प्रदेश	98	84	14	263	205	58	6225	6225	0	6225	6225	0
22	असम	230	210	20	2269	1917	363	62142	59801	2341	62135	52911	9224
23	मणिपुर	43	36	7	391	370	21	11585	10747	838	11585	9231	2354
24	मेघालय	41	33	8	222	219	3	6188	6153	35	6188	6119	69
25	मिजोरम	27	27	0	90	90	0	2285	2244	41	2285	2244	41
26	नागालैंड	60	60	0	167	167	0	3980	3980	0	3980	3980	0
27	सिक्किम	13	13	0	58	58	0	1308	1308	0	1308	1308	0
28	त्रिपुरा	57	44	13	436	335	101	10474	10275	199	10474	10275	199
29	अंडमान और निकोबार	5	5	0	28	26	2	720	720	0	720	719	1
30	गोवा	11	11	0	50	50	0	1262	1240	22	1262	1191	71
31	पुददुचेरी	5	0	0	34	0	34	855	582	273	855	696	159
32	चंडीगढ़	3	3	1	18	18	0	450	435	15	450	439	11
33	लद्दाख	13	0	13	42	34	9	1173	1163	10	1173	1153	20
34	दिल्ली	95	46	49	432	307	125	10897	10488	409	10897	10833	64
35	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	4	2	2	17	10	7	405	404	1	405	397	8
36	लक्षद्वीप	9	0	9	4	0	4	59	58	1	59	56	3
	कुल	7075	4723	2348	51671	34122	17781	1400507	1337143	63364	1395018	1188724	206294

अनुलग्नक- II

“आईसीडीएस में संस्थागत क्षमता और कार्यबल की स्थिति” के संबंध में दिनांक 08.08.2025 को को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3371 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) 2025-26 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त टॉप-अप राशि का विवरण:

क्रम सं.	राज्य	एडब्ल्यूडब्ल्यू को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह)	एडब्ल्यूएच को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह)
1	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
2	बिहार	2,500	1,750
3	छत्तीसगढ़	5,500	2,750
4	गुजरात	5,500	3,250
5	हरियाणा	10,250	5,650
6	हिमाचल प्रदेश	5,500	3,250
7	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
8	झारखंड	5,000	2,500
9	कर्नाटक	7,000	4,500
10	केरल	5,700	4,300
11	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
12	महाराष्ट्र	8,500	5,250
13	ओडिशा	5,500	2,750
14	पंजाब	5,500-6,500	2,750-3,250
15	राजस्थान	5,510	3,674
16	तमिलनाडु	3,200	1,850
17	तेलंगाना	9,150	5,550
18	उत्तर प्रदेश	1,500	750
19	उत्तराखंड	4,800	3,000
20	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550
21	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000

22	असम	2,000	1,000
23	मणिपुर	1,000	600
24	मेघालय	3,000	1,000
25	मिजोरम	450	500
26	नागालैंड	शून्य	शून्य
27	सिक्किम	7,000	4,500
28	त्रिपुरा	3,500-5,946	2,750-4218
29	अंडमान और निकोबार	7,500	5,750
30	गोवा	5,500 -13,500	3,750 - 6,750
31	पुदुचेरी	1,950	2,125
32	चंडीगढ़	3,600	1,800
33	लद्दाख	1,300	650
34	दिल्ली	6,720	3,360
35	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	3,500	1,750
36	लक्षद्वीप	5,500	4,750

*****